प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 16/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय पर दिशानिर्देशों में बदलाव करना'' पर सिफारिशें जारी की।

नई दिल्ली, 21 फरवरी 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय पर दिशानिर्देशों में बदलाव करना'' पर सिफारिशें जारी की हैं।

दूरसंचार विभाग ने 8 मई 2019 को अपने पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ सूचित किया कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 में स्वीकृतियों के सरलीकरण और गति तेज करने को सक्षम करने के लिए विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश, 2014 में बदलाव करके अनुपालन बाध्यताओं को सरल और सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना की गई है। उक्त पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने ''विलय और अधिग्रहण पर दिशानिर्देश, 2014 में बदलाव करना'' पर भादूविप्रा से सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

2. इस संबंध में, ''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में बदलाव करना'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान की गई थी और हस्तांतरण/विलय को सक्षम करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में किए जाने वाले बदलावों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थी ताकि स्वीकृतियों को आसान और तेज बनाया जा सकें। नौ हितधारकों से टिप्पणियां और दो हितधारकों से प्रति–टिप्पणियां प्राप्त हुई। 23 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया था।

3. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और सूचना और स्वयं के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने ''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में बदलाव करना'' पर अपनी सिफारिशी को अंतिम रूप दिया है।

4. सिफारिशों को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया है। स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, यदि कोई हो, श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग) भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 या ईमेल advmn@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

.

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।